संख्या-35/2024/296/छप्पन-2024-56-1006/2/2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412 EP VT-UPO के फ्लाइट कन्ट्रोल कम्प्यूटर पार्ट नं0-7015480 902 के क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-364 ना0उ0नि0/इंजी/(यू0पी0ओ0)/12-आई/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में किए गए अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412 EP VT-UPO के फ्लाइट कन्ट्रोल कम्प्यूटर पार्ट नं0-7015480-902 को बेल टेक्स्ट्रान एशिया सिंगापुर से क्रय करने पर होने वाले व्यय यू०एस० डालर 151741.00 जो भारतीय मुद्रा में रू0 85/-प्रति डालर की विनिमय की दर से रू० 1,28,97,985/- (रूपये एक करोड़ अठ्ठाइस लाख सत्तान्नबे हजार नौ सौ पच्चासी) मात्र एवं निदेशालय में सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे०बी०के० लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली से प्राप्त ई-मेल के अनुसार इसके आयात पर अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी०एस०टी०, फेट चार्जेज इत्यादि) के रूप में रू0 31,50,000/-अर्थात् कुल रू0 1,60,47,985/- (रूपये एक करोड़ साठ लाख सैंतालिस हजार नौ सौ पच्चासी मात्र) होता है, के व्यय की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति एवं क्रयादेश निर्गत किये जाने की स्वीकृति एवं उक्त क्रय पर फर्म को कुल भुगतान की जा रही धनराशि यू०एस० डालर 151741.00 में से यू०एस० डालर 55000.00 भारतीय मुद्रा में रू0 85/-प्रति डालर की विनिमय की दर से रू0 46,75,000/- एवं निदेशालय में सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे०बी०के० लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली को आयात पर अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी०एस०टी०, फेट चार्जेज इत्यादि) के रूप में रू0 31,50,000/- अर्थात् कुल रू0 78,25,000/-(रूपये अठहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(15) यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन ''राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070 अन्य प्रशसनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या: 35/2024/296(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।